

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बन्धित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर "उत्तर के माध्यम" के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी-फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of "Medium of Answer" on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोट: समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No.1

[03 Marks]

How and when a Magistrate of First Class can issue process in a private complaint.

प्रश्न संख्या 1

एक व्यक्तिगत परिवाद में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कब व कैसे आदेशिका जारी कर सकता है ?

Question No.2

[03 Marks]

'F', wife of 'M', living in state of adultery. 'P', father of 'M', files a written complaint before Magistrate against 'F' under section 494 IPC.

Whether, criminal proceedings can be initiated against 'F'? Explain with reason.

प्रश्न संख्या 2

'M' की पत्नी 'F', जो कि जारता की दशा में रह रही है। 'M' का पिता 'P', मजिस्ट्रेट के समक्ष 'F' के विरुद्ध धारा 494 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु लिखित परिवाद प्रस्तुत करता है।

क्या, 'F' के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की जा सकती हैं ? कारण सहित स्पष्ट कीजिये।

Question No.3

[03 Marks]

A Court of Sessions, while convicting the accused for offence under section 325, 307 IPC, imposes a sentence of 10 years simple imprisonment and fine of Rs. 50,000/-, out of which Rs. 30,000/- to be given to injured-victim as compensation.

Briefly, examine the legality of the order for compensation, after applying relevant provisions of Cr.P.C.

प्रश्न संख्या 3

सेशन न्यायालय एक अभियुक्त को धारा 325, 307 भा.द.सं. के अपराध हेतु दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का साधारण कारावास एवं 50,000 रुपये अर्धदण्ड और उक्त राशि में से 30,000 रुपये आहत-व्यथित व्यक्ति को बतौर प्रतिकर देने का आदेश करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों को लागू करते हुए उक्त प्रतिकर आदेश की वैधता की संक्षेप में विवेचना कीजिये।

Question No.4**[03 Marks]**

Summarize, the "Power of a Judge" under section 165 Evidence Act.

प्रश्न संख्या 4

साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 में वर्णित "न्यायाधीश की शक्ति" को संक्षेप में बताइये।

Question No.5**[03 Marks]**

'Hari', prosecutes 'Kalu' for adultery with his wife 'Neelu'. 'Kalu' denies that 'Neelu' is wife of 'Hari'. The Court convicts 'Kalu' for the adultery. Afterwards, 'Neelu' is prosecuted for bigamy in marrying 'Kalu' during 'Hari's' lifetime. 'Neelu' says that she never married to 'Hari'. 'Hari' produced copy of judgment, wherein, 'Kalu' was convicted for adultery with 'Neelu'.

Whether, judgment in case of 'Kalu' is relevant against 'Neelu'? Explain in brief with relevant provision.

प्रश्न संख्या 5

'हरी', 'कालू' को अपनी पत्नी 'नीलू' के साथ जास्ता हेतु अभियोजित करता है। 'कालू' इस बात से इंकार करता है कि 'नीलू', 'हरी' की पत्नी है। न्यायालय 'कालू' को जास्ता हेतु दोषसिद्ध कर देता है। तत्पश्चात्, 'हरी' के जीवनकाल में 'कालू' से द्विविवाह करने हेतु 'नीलू' को अभियोजित किया जाता है। 'नीलू' कहती है कि उसने कभी 'हरी' से विवाह नहीं किया। 'हरी' उस निर्णय की प्रति पेश करता है जिसमें कि 'कालू' को 'नीलू' के साथ जास्ता हेतु दोषसिद्ध किया गया था।

क्या, 'कालू' के विरुद्ध पारित निर्णय 'नीलू' के विरुद्ध सुसंगत है ? सुसंगत प्रावधान सहित संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिये।

Question No.6**[03 Marks]**

'A', just for enjoyment and fun with labours working in his field, drives a tractor around them in rash and negligent manner. Next day he repeats the same act in same mood and manner. A labour get hit by the tractor and resultantly, dies.

Whether, 'A' has committed any offence on both the days? Explain with brief reasons.

प्रश्न संख्या 6

'A', अपने खेत में कार्य कर रहे मजदूरों से मजाक-मनोरंजन हेतु खेत में उनके आस पास उपेक्षा व उतावलेपन से ट्रैक्टर चलाता है। अगले दिन भी वह उसी मूड व तरीके से वही कृत्य दोहराता है। एक मजदूर ट्रैक्टर से टकरा जाता है व परिणामतः उसकी मृत्यु हो जाती है।

क्या, 'A' ने दोनों दिवसों को कोई अपराध किया है ? संक्षिप्त कारणों सहित स्पष्ट कीजिये।

Question No.7**[03 Marks]**

'Madan' married 'Geeta' as per Hindu rites and ceremonies in year 2001. Just after 9 months of marriage, they began to live separately in different towns due to rift. After 7 years, 'Geeta' married with an unmarried person 'Suresh', after disclosing all the facts to him. 'Madan', after knowing about the marriage of 'Geeta', also get married with a legally divorcee Hindu lady 'Babita', concealing the facts about his previous marriage.

State with brief reasons regarding criminal liability (if any) of Madan, Geeta, Suresh and Babita.

प्रश्न संख्या 7

'मदन' का वर्ष 2001 में 'गीता' से हिन्दू रीति-रिवाजों से विवाह हुआ। विवाह के मात्र 9 माह पश्चात् ही आपसी अनबन के कारण दोनों एक दूसरे से अलग, दूसरे कस्बों में रहने लगे। 7 वर्ष पश्चात् 'गीता' ने एक अविवाहित व्यक्ति 'सुरेश' को सब तथ्य बताते हुए, उससे विवाह कर लिया। 'गीता' के विवाह का पता चलने पर 'मदन' ने भी एक वैध रूप से तलाकशुदा हिन्दू स्त्री 'बबिता' से, अपने पूर्व विवाह के तथ्यों को छिपाते हुए, विवाह कर लिया।

मदन, गीता, सुरेश एवं बबिता के आपराधिक दायित्व (यदि कोई हो) को संक्षिप्त कारण सहित बताइये।

Question No.8**[03 Marks]**

What is the definition of "Sexual Harassment", under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

प्रश्न संख्या 8

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, के अन्तर्गत "लैंगिक उत्पीड़न" की क्या परिभाषा है ?

Question No.9**[03 Marks]**

'X', renowned builder in ordinary course of his business agreed to sale one flat to 'Y'. As 'Y' belongs to Schedule Caste, so next day he denies to sell, stating to 'Y' that, this would adversely affect the sale of remaining flats.

Whether, 'X' has committed any offence under The Schedule Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989? Support the answer with the provisions of relevant law.

प्रश्न संख्या 9

'X', अपने व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में 'Y' को एक फ्लैट बेचने को सहमत हुआ। चूंकि 'Y' अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अतः अगले दिन वह यह कहते हुए विक्रय से मना कर देता है कि, इससे शेष फ्लैट्स की बिक्री प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

क्या, 'X' द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत कोई अपराध किया गया है ? सुसंगत विधि के प्रावधानों सहित उत्तर समर्थित कीजिये।

Question No.10

[03 Marks]

"Abhishek", a member of schedule tribes abuses a lady "Kamali", a member of scheduled caste, by saying "Chamari", at the bus stand.

What offence has been committed by "Abhishek" under The Schedule Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. Briefly discuss with reasons.

प्रश्न संख्या 10

अनुसूचित जनजाति का सदस्य "अभिषेक", अनुसूचित जाति की महिला "कमली" से बस स्टैंड पर "चमारी" कह कर गाली गलौज करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अन्तर्गत, "अभिषेक" द्वारा क्या अपराध किया गया है? कारण सहित संक्षेप में विवेचित कीजिये।

Question No.11

[04 Marks]

'A', filed a complaint before a Magistrate against 'B' for house trespass. During inquiry made by Court under section 202 of Cr.P.C., 'A' produced and examined 'C' as his witness. Afterwards, due to death of 'C' he could not be examined during the trial.

Whether, statement of 'C', recorded during inquiry is relevant as previous statement and can be used against 'B' in the trial? Explain in brief with reasons.

प्रश्न संख्या 11

'A' ने 'B' के विरुद्ध गृह अतिचार करने हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा धारा 202 द.प्र.सं. के अन्तर्गत की गई जाँच के दौरान 'A' ने 'C' को अपने साक्षी के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया। तत्पश्चात् 'C' की मृत्यु हो जाने के कारण उसे विचारण के दौरान परीक्षित नहीं करवाया जा सका।

क्या, जाँच के दौरान लेखबद्ध 'C' के कथन, पूर्ववर्ती कथन के रूप में सुसंगत है एवं 'B' के विरुद्ध विचारण में प्रयुक्त किये जा सकते हैं? कारण सहित संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।

Question No.12

[04 Marks]

What are the salient features of the offence "Giving false evidence" and "Fabricating false evidence". Explain in brief.

प्रश्न संख्या 12

अपराध, "मिथ्या साक्ष्य देना" एवं "मिथ्या साक्ष्य गढ़ना", की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ? संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।

Question No.13

[04 Marks]

Explain in short, the definition of "Domestic Violence" under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.

प्रश्न संख्या 13

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत "घरेलू हिंसा" की परिभाषा को संक्षेप में समझाइये।

Question No.14

[04 Marks]

Write a short note on the provisions of Bail with regard to offence relating to commercial quantity of contraband, under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985

प्रश्न संख्या 14

स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में वर्णित निषिद्ध माल की वाणिज्यिक मात्रा के अपराध के सम्बन्ध में जमानत के प्रावधानों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

Question No.15

[04 Marks]

Whether, is it mandatory for Juvenile Justice Board to release the child-in-conflict with law on bail, alleged to have committed an offence? When and for which offences bail can be denied, explain rationally.

प्रश्न संख्या 15

क्या, किशोर न्याय बोर्ड हेतु, एक विधि से संघर्षरत बालक, जिसके द्वारा अपराध किया जाना अभिकथित किया गया है, को जमानत पर रिहा करना आज्ञापक है ? कब व किन अपराधों हेतु जमानत से इंकार किया जा सकता है, तर्कसंगत रूप से विवेचित कीजिये।

Question No.16

[05 Marks]

Discuss the provisions relating to recording of statement of a child by Police and a Magistrate, under Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

प्रश्न संख्या 16

पुलिस एवं मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन लेखबद्ध करने के सन्दर्भ में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, में वर्णित प्रावधानों को विवेचित कीजिये।

Question No.17

[05 Marks]

Make a comparative discussion in brief, with regard to mode of recording of evidence and power to award sentence in summary trial

cases, as embodied in provisions of Cr.P.C. and Negotiable Instruments Act, 1881.

प्रश्न संख्या 17

दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों में वर्णित संक्षिप्त विचारण योग्य मामलों में साक्ष्य लेखबद्ध करने के ढंग और दण्ड देने की शक्ति के संदर्भ में संक्षेप में तुलनात्मक विवेचन कीजिये।

Question No.18

[06 Marks]

Discuss in detail the provisions of Cr.P.C. with regard to contents of charge and the alteration and addition of charge, during the trial with consequence thereto.

प्रश्न संख्या 18

आरोप की अन्तर्वस्तु एवं विचारण के दौरान आरोप में परिवर्तन व परिवर्धन एवं इनके परिणाम के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों को विस्तार पूर्वक विवेचित कीजिये।

Question No.19

[06 Marks]

'A' gives a cheque of Rs. 10 lacks to 'B' on 01.01.2014, for the discharge of his debt, knowingly that sufficient fund is not in his bank account. Cheque returned by bank unpaid and 'A' is prosecuted by 'B' for offence u/s 138 Negotiable Instruments Act. But, after trial, 'A' is acquitted by court on 01.02.2018. Afterwards, on 05.02.2018, 'B' files another complaint before magistrate against 'A', u/s 420 IPC (cheating), for the same cheque.

Whether, plea of double jeopardy, as provided in section 300 Cr.P.C. can be taken by 'A'? Discuss elaborately with reasons and precedent.

प्रश्न संख्या 19

'A', दिनांक 01.01.2014 को अपने ऋण के उन्मोचन हेतु 10 लाख रुपये का चैक, यह जानते हुए कि उसके बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है, 'B' को देता है। चैक को बैंक द्वारा बिना भुगतान लौटाने पर 'B' द्वारा 'A' को धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अपराध हेतु अभियोजित किया जाता है, परन्तु न्यायालय दिनांक 01.02.2018 को विचारण के बाद 'A' को दोषमुक्त कर देता है। तत्पश्चात् 'B', दिनांक 05.02.2018 को इसी चैक के आधार पर मजिस्ट्रेट के समक्ष एक अन्य परिवान 'A' के विरुद्ध, भा.दं.सं. की धारा 420 (छल) के अन्तर्गत पेश करता है।

क्या, 'A' द्वारा द.प्र.सं. की धारा 300 में वर्णित "दोहरे अभियोजन" का अभिवाक लिया जा सकता है? कारण व न्यायनिर्णय सहित विस्तृत रूप से विवेचना कीजिये।

Question No.20**[08 Marks]**

What is "Dowry Death"? Explain the presumption provided under section 113-B of Evidence Act. When it can be invoked and what is its effect on burden of proof.

प्रश्न संख्या 20

“दहेज मृत्यु” क्या है ? धारा 113-ख साक्ष्य अधिनियम में वर्णित उपधारणा को स्पष्ट करें। इसे कब लागू किया जा सकता है एवं साबित करने के भार पर इसका क्या प्रभाव है ?

Question No.21**[10 Marks]**

'R' is charged for voluntarily causing grievous hurt by using acid on 'Sunita'. During the trial following facts are established;

1. About 15 days prior to the incident, while 'Sunita' was going to college along with her friend 'Suman', 'R' proposed 'Sunita' to marry but she vehemently denied, as she was going to be marry with another person. 'R' threatened her.
2. On fateful day of incident, while 'Sunita' was going to market along with her friend 'Suman', a biker threw acid on her and fled away.
3. Oral testimony as well as medical opinion reveals that 'Sunita' received injuries of facial disfiguration by the use of acid. No injury sign was found on the body of 'R'.
4. Except 'Sunita' and 'Suman', the other eye-witnesses did not support prosecution case.
5. A bottle with residuary of acid was recovered from the room of 'R'.

Write a reasoned judgment, keeping in mind the aspect of Compensation also.

प्रश्न संख्या 21

'R' को, सुनीता को एसिड द्वारा स्वेच्छया गंभीर उपहतियां कारित करने हेतु आरोपित किया गया है। विचारण के दौरान निम्नलिखित तथ्य स्थापित हुए हैं :

1. घटना से 15 दिन पूर्व, जब 'सुनीता' अपनी सहेली 'सुमन' के साथ कॉलेज जा रही थी तब 'R' ने 'सुनीता' से विवाह का प्रस्ताव रखा, परन्तु 'सुनीता' ने पुरजोर ढंग से इंकार किया, क्योंकि शीघ्र ही 'सुनीता' का विवाह किसी और के साथ होने वाला था। 'R' ने उसे धमकी दी।
2. घटना के दुःखद दिन, जब 'सुनीता' अपनी सहेली 'सुमन' के साथ बाजार जा रही थी, एक मोटरसाईकिल चालक ने उस पर एसिड फेंका और भाग गया।
3. मौखिक साक्ष्य के साथ-साथ चिकित्सीय राय से भी यह प्रकट होता है कि 'सुनीता' के चेहरे के विद्रुपीकरण की उपहति एसिड से कारित हुई है। 'R' के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये।
4. 'सुनीता' व 'सुमन' के सिवाय, अन्य किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया।
5. 'R' के कमरे से एक बोतल, एसिड के अवशिष्ट सहित बरामद की गई।

प्रतिकर के पहलू को भी ध्यान में रखते हुए, एक तर्कसंगत निर्णय लिखिये।

Question No.22

[10 Marks]

Write a judgment on following facts:

A lady 'Meena' was waiting for a bus near Pali Railway Station. A boy, around 20 years age came on the motorcycle, snatched 'Meena's' gold chain of 50 gms and escaped before that lady could see his face. She lodged a report in the Police Station. On the next day, 'Ram Singh', aged about 21 years was arrested by police in connection with a similar offence. He gave information to the police, that the day before, he had snatched gold chain of a woman and sold it to a jeweler. He showed that shop to police. Police seized gold chain of 50 gms. and sale receipt. 'Meena' identified the gold chain. Police did further investigation and filed charge-sheet against 'Ram Singh'.

'Ram Singh' denied everything in his statement u/s 313 Cr.P.C. and alleged that police has falsely implicated him and forcibly taken his statement, while he was in their custody.

प्रश्न संख्या 22

एक महिला 'मीना', पाली रेलवे स्टेशन के पास बस का इंतजार कर रही थी। लगभग 20 वर्ष की आयु का एक लड़का मोटरसाईकिल पर आया और इससे पहले कि 'मीना' उसका चेहरा देख पाती, वह उसकी 50 ग्राम की सोने की चेन को झपट कर भाग गया। उसने पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगले दिन, पुलिस ने समान अपराध से जुड़े मामले में 'राम सिंह', आयु लगभग 21 वर्ष, को गिरफ्तार किया। उसने पुलिस को सूचना दी कि, एक दिन पहले उसने एक महिला की सोने की चेन झपटी थी, जिसे उसने ज्वेलर को बेचा है। उसने वह दुकान पुलिस को दिखाई। पुलिस ने ज्वेलर से 50 ग्राम सोने की चेन और विक्रय रसीद को जब्त किया। 'मीना' ने सोने की चेन की शिनाख्त कर लिया। पुलिस ने आगामी अनुसंधान कर 'राम सिंह' के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

'राम सिंह' अपने 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों में सब चीजों से इंकार किया व अभिकथित किया कि पुलिस ने उसे मिथ्या संलिप्त किया है और जब वह उनकी अभिरक्षा में था तब उसके कथन जबरदस्ती लिये थे।
